समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.
सर्किट बेंच जबलपुर म.प्र.
रिवीजन क्र. निगरानी - 5899 /2018 / डिन्डोरी / भू.रा.

आवेदक : जयराम जोगी पिता बद्री प्रसाद जोगी
उम्र 60 वर्ष पेशा–काश्तकारी
निवासी–ग्राम शोभापुर, तह.व जिला–डिण्डौरी म.प्र.

विरूद्ध

अनावेदक/उत्तरार्थीगण: गणेश प्रसाद (मृत)
द्वारा उत्तराधिकारी
1. श्रीमती इन्दिरा बाई पत्नि गणेश साहू
उम्र लगभग 50 वर्ष
2. मुकेश साहू पिता गणेश साहू
उम्र लगभग 25 वर्ष
3. शोभना साहू पिता गणेश साहू
उम्र लगभग 23 वर्ष
सभी निवासी–ग्राम गाड़ासरई, तह. व
जिला–डिण्डौरी म.प्र.

नोटः– प्रकरण में आगे अनावेदक/उत्तरार्थीगण गणेश प्रसाद (मृत) के उत्तराधिकारियों को उत्तरार्थी कहा गया है।

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन करता हैः–

आवेदक माननीय अपर आयुक्त महोदय संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनॉक 26/02/2018 एवं 06/08/2018 अपील प्रकरण क्र. 92/अ–6–अ/2012–13 में अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रकरण क्र.34/अ–6–अ/ 2011–12 आदेश दिनॉक 28/07/2012 की पुष्टि की गई है, से व्यथित होकर उक्त रिवीजन याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, आवेदक के पिता स्व. बद्री प्रसाद जोगी को रा.नि.मं. गाड़ासरई स्थित भूमि ख.नं. 419/1, रकवा 4.30 एकड़ भूमि का पट्टा दिनॉक 04/12/1989 को न्यायालय नायब तहसीलदार बजाग के प्रकरण क्र. 258/अ–19/87–88 के द्वारा प्रदान किया गया था, उक्त खसरा नंबर पर उत्तरार्थी ने अपना नाम दर्ज करा लिया था इस कारण से पुराना खसरा नं. सुधारने हेतु आवेदक ने नायब

R-5899/2018 जिला-डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
3/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 92 अ–6–अ/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 26–2–18, 6–8–18 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता के सम्बन्ध में आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त, जबलपुर का आदेश दिनांक 26–2–18, 6–8–18 को पारित हुआ है तथा उनके व्दारा 10–9–18 को निगरानी प्रस्तुत की गई है इसलिये निगरानी सुनवाई योग्य है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 (2) (ख) के अवलोकन पर स्थिति इस प्रकार है– धारा 50 (2) – पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन – (2) (ख) – द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व । – ग्रहण नहीं किया जायेगा। विचाराधीन प्रकरण में नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 3–3–11 से अभिलेख सुधार कर आदेश दिया है जिसके विरूद्व अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी डिण्डोरी ने आदेश दिनांक 28–7–12 से से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है जिसके विरूद्व द्वित्तीय अपील में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 26–2–18 एंव पुनरावलोकन आदेश दिनांक 6–8–18 है। नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में प्रचलन–योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	